न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल।
उपस्थितः— रवि रंजन (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)
फौजदारी वाद सं0—1012/2024
Computer CNR No.UKNA02-001287-2024

उत्तराखण्ड राज्य बनाम् विजय सिंह

एफ0आई0आर0 संख्याः—34/2024
धारा—279, 427 भा0द0 संहिता, 1860
थाना—भवाली, जिला—नैनीताल।

शिकायतकर्ता	उत्तराखण्ड राज्य
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी	श्रीमती शुभांजली शर्मा
अभियुक्त	विजय सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी— कोटयूडा पो0 दरमाड, थाना द्वाराहाट, जिला अल्मोडा
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री डी0एस0 दानू

अपराध का दिनांक	04.05.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	05.05.2024
आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक	22.07.2024
अभियोग का सारांश अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 बताये जाने का दिनांक	07.07.2025
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	12.08.2025
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	12.02.2026
निर्णय का दिनांक	16.02.2026
सजा सुनाये जाने का दिनांक	—

अभियुक्त का विवरणः—

क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा की अवधि	जेल में बितायी गयी अवधि
A-1	विजय सिंह	16.05.2025 (आत्मसमर्पण)	16.05.2025	279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	दोषमुक्ति	—	—

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

निर्णय

थाना भवाली, जिला नैनीताल द्वारा अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध धारा 279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर, इस मामले में विचारण प्रारम्भ हुआ।

अभियोजन कथानक

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गोविंदधर द्विवेदी द्वारा थाना भवाली में तहरीर इस आशय की दी गयी थी कि ''मेरा नाम गोविन्द धर द्विवेदी है मैं उत्तर प्रदेश जिला बस्ती का रहने वाला हूँ महोदय आपको बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 04/052024 को सुबह मैं कैची धाम दर्शन के लिए निकला था भवाली के आने रास्ते पर रस्ता खाई की तरफ सकरा था जिसको देखकर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को कम किया इसी दौरन सामने से माही UK01C 4444 तेज रफ्तार तथा लापरवाही तरीके से चलाते हुए मेरी गाडी में जोरदार टक्कर मारा जिससे मेरी गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गयी।UP51BL9290''

3. वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना भवाली, जिला नैनीताल में मुकदमा अपराध संख्या–34/2024, अंतर्गत धारा 279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में पंजीकृत किया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाकर विवेचनाधिकारी थाना भवाली द्वारा अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया गया। न्यायालय की आदेशिकाओं पर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपियां अन्तर्गत धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 उपलब्ध करायी गयी।

4. अभियुक्त को अभियोग का सारांश अंतर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 बताया गया, जिस पर अभियुक्त विजय सिंह द्वारा उसके विरूद्ध आरोपित अपराध से इंकार कर, विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू0—01	कानि0 154 सी0पी0 शत्रुघन कुमार	चिक एफ0आई0आर0 लेखक
पी0डब्ल्यू0—02	गोविन्द द्विवेदी	वादी मुकदमा
पी0डब्ल्यू0—03	मुकेश भटट	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्ल्यू0—04	ए0एस0आई0एम0टी0 दलजीत सिंह मर्तोलिया	तकनीकी निरीक्षणकर्ता
पी0डब्ल्यू0—05	उपनिरीक्षक कृष्णा गिरी	विवेचक
पी0डब्ल्यू0—06	सुरसुर कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी

6. अभियोजन पक्ष द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उनका विवरण इस प्रकार है : —

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी—1 / पी0डब्ल्यू0—01	जी0डी0
2.	प्रदर्श पी—2 / पी0डब्ल्यू0—01	चिक एफ0आई0आर0
3.	प्रदर्श पी—3 / पी0डब्ल्यू0—02	तहरीर
4.	प्रदर्श पी—4 / पी0डब्ल्यू0—04	तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी—5 / पी0डब्ल्यू0—05	नक्शा नजरी
6.	प्रदर्श पी—6 / पी0डब्ल्यू0—05	फर्द कब्जे लेने वाहन
7.	प्रदर्श पी—7 / पी0डब्ल्यू0—05	आरोप पत्र

बयान अन्तर्गत धारा—313 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973

7. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त, अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा—313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्य को गलत होने का कथन करते हुए कहा गया कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया है और प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया।

8. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

9. प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु यह देखा जाना है कि **"क्या दिनांक**

04.05.2024 को किसी समय स्थान भवाली के आगे रास्ते पर थाना भवाली, जिला नैनीताल में अभियुक्त विजय सिंह द्वारा वाहन संख्या–यू0के0–01–सी0–4444 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा गोविन्दधर द्विवेदी के वाहन संख्या–यू0पी0–51–बी0एल0–9290 में टक्कर मारकर उक्त वाहन क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित की गई?''

10. अभियोजन के उक्त कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं0–01 कानि0 154 सी0पी0 शत्रुधन कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में कथन किया कि ''दिनांक 05.05.2024 से आज दिनांक तक मैं कोतवाली भवाली में सी.सी.टी.एन.एस. बतौर कानि० क्लर्क के पद पर तैनात हूँ। उक्त दिनांक को कृपाशंकर पाण्डे व गोविन्दधर थाना हाजा पर उपस्थित आये। उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली के आदेशानुसार मेरे द्वारा रपट नं0 45 समय 22:41 बजे इंद्राज कर मुकदमा अपराध संख्या 34/2024 अंतर्गत धारा 279, 427 भा0दं0सं0 बनाम यू0के0–01सी–4444 का चालक का नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। जी0डी0 पत्रावली पर कागज सं0 5क/3 के रूप में शामिल मिसल है। चिक एफ0आई0आर0 पत्रावली पर कागज सं0 5क/1 लगायत 5क/2 के रूप में शामिल मिसल है। विवेचक द्वारा इस सम्बन्ध में मेरे बयान दिनांक 07.05.2024 को लिये गये थे।'' साक्षी द्वारा जी0डी0 की प्रति को प्रदर्श पी–01 व चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श पी–02 के रूप में साबित किया।

11. अभियोजन के उक्त कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं0–02 गोविन्द द्विवेदी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में कथन किया कि ''दिनांक 04.05.2024 को प्रातः 07:30 बजे जब हमलोग भवाली से कैंची की तरफ अपने वाहन संख्या यू0पी0 51बी0एल0 9290 से कैंची धाम की ओर जा रहे थे तभी कैंची की तरफ से आने वाले वाहन संख्या यू0के0 01सी 4444 गाड़ी सामने तेजी व लापरवाही से चलाते और फोन पर बात करते हुऐ हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मेरी गाड़ी का काफी नुकसान हुआ और उनकी गाड़ी टक्कर लगने से अनियत्रित होकर पहाड़ की साईड के खड्डे में गिर गयी,

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

उक्त घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा भवाली कोतवाली में दी गयी थी। जो कि पत्रावली में कागज संख्या 3क/3 के रूप में मेरे हस्तलेख में संलग्न है। घटना के पश्चात विवेचना अधिकारी ने मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था, उक्त नक्शा नजरी पत्रावली में कागज संख्या 7क/1 के रूप में संलग्न है जिसके एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूॅ, घटना के संबंध पुलिस ने मेरे बयान लिये थे।'' साक्षी द्वारा तहरीर को प्रदर्श पी—03 के रूप में साबित किया गया।

12. इसी प्रकार से अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं0—03 मुकेश भटट द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में यह कथन किया कि ''दिनांक 04.05.2024 को प्रातः 07:30 बजे भवाली से कैंची धाम की ओर जा रहा था, भवाली से दो किलोमीटर नीचे की तरफ कैंची की ओर स्विप्ट गाड़ी यू0पी0 51बी0एल 9290 जा रही थी जो कि तेजी व लापरवाही से चल रही थी तभी कैंची धाम से भवाली की ओर ब्रिजा यू0के0 01 सी 4444 आ रही थी और स्विप्ट यू0पी0 51 बी0एल0 9290 ने तेजी व लापरवाही से आकर ब्रिजा यू0के0 01 सी 4444 गाड़ी को टक्कर मार दी जिसे ब्रिजा गाड़ी पहाड़ी के पास कलमठ खाई में गिर गयी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।''

13. अभियोजन साक्षी सं0—04 अपर उपनिरीक्षक दलजीत सिंह मर्तोलिया द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में यह कथन किया गया है कि ''मैं वर्ष 2024 में ए0एस0आई0 एमटी के पद पर पुलिस लाईन नैनीताल पर तैनात हूँ। मेरे द्वारा थाना भवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2024 धारा 279, 427 आई0पी0सी0 से संबंधित वाहन स्विप्ट कार वाहन संख्या यू0पी 51 बी0एल0 9290 का तकनीकी परीक्षण दिनांक 16.05.2024 को थाना भवाली परिसर में किया गया। तकनीकी परीक्षण के बाद मेरे द्वारा यह पाया गया कि दाहिनी तरफ वाहन की बॉडी अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त है। हैडलाईट दाहिनी तरफ का क्षतिग्रस्त है। दाहिनी तरफ का बोनट, दाहिनी तरफ का अगला शो क्षतिग्रस्त है। मेरे द्वारा उपरोक्त वाहन की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 को तैयार की गयी जो पत्रावली में कागज संख्या 8क/2 के रूप में संलग्न है। इस संबंध में विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे।'' साक्षी द्वारा तकनीकी

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी—04 के रूप में साबित किया।

14. अभियोजन साक्षी सं0—05 उपनिरीक्षक कृष्णा गिरी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में यह कथन किया गया है कि ''दिनांक 05.05.2024 को कोतवाली भवाली में मु0अ0सं0 34/2024 धारा 279, 427 आई0पी0सी0 बनाम यू0के0 1सी 4444 चालक नाम पता अज्ञात की विवेचना थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से पंजीकृत होकर मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द हुई थी, दिनांक 07.05.2024 को विवेचना ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर लेखक सी0डी0 अंकित किये गये। दिनांक 13.05.2024 को बयानवादी गोविन्दधर द्विवेदी, गवाह सूरसर अंकित सी0डी0 किये गये व वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 7क/1 के रूप में संलग्न है। उक्त दिनांक को ही वाहन संख्या यू0पी 51 बी0एल0 9290 को कब्जे पुलिस में लेकर फर्द तैयार की गयी। उक्त फर्द पत्रावली में 6क/1 के रूप में संलग्न है। दिनांक 16.05.2024 को बयान गवाह मुकेश भटट के बयान अंकित किये गये। दिनांक 19.05.2024 फोन के जरिये गवाह कृपाशंकर पाण्डे के बयान अंकित किये गये। उक्त दिनांक को तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट को अवलोकन कर, तकनीकी परीक्षणकर्ता दलजीत सिंह मर्तोलिया के बयान सी०डी० अंकित किये गये। दिनांक 05.06.2024 को अभियुक्त विजय सिंह के बयान अंकित कर धारा 41क दण्ड प्रक्रिया सहिता की नोटिस तामील कराया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 10क/1 के रूप में संलग्न है। दिनांक 11.06.2024 को मामले में विवेचना पूरी कर गवाह के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 11/2024 अन्तर्गत धारा 279, 427 आई0पी0सी माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपपत्र पत्रावली कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/3 के रूप में संलग्न है।'' साक्षी द्वारा नक्शा नजरी को प्रदर्श पी—05, फर्द को प्रदर्श पी—06 व आरोप पत्र को प्रदर्श पी—07 के रूप में साबित किया गया।

15. अभियोजन साक्षी सं0—06 सुरसुर कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में यह कथन किया गया है कि ''दिनाँक 04.05.2024 को प्रातः लगभग

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

07:30 बजे हमलोग भवाली से कैंची की तरफ वाहन संख्या यू0पी0 51 बीएल 9290 से जा रहे थे तभी भवॉली से लगभग दो किलोमीटर आगे कैंची की तरफ स्थान पर कैंची की तरफ से आने वाले वाहन संख्या यू0के 01 सी 4444 द्वारा तेजी व लापरवाही से हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर के वक्त वाहन संख्या यू0के 01 सी 4444 का चालक फोन पर बात कर रहा था। जिससे हमारी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। उनकी गाड़ी टक्कर लगने से अनियत्रित होकर पहाड़ की साईड में खड्डे में गिर गयी। मौके पर पुलिस आ गयी थी तथा दोनों वाहनों को भवॉली में ले गये थे। उक्त के संबंध में विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे।''

16. अभियोजन को यह साबित करना है कि दिनांक 04.05.2024 को किसी समय स्थान भवाली के आगे रास्ते पर थाना भवाली, जिला नैनीताल में अभियुक्त विजय सिंह द्वारा वाहन संख्या—यू0के0—01—सी0—4444 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा गोविन्दधर द्विवेदी के वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 में टक्कर मारकर उक्त वाहन क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित की गई।

17. इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से छः साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। प्रस्तुत मामले में चार चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं। पी0डब्ल्यू0—02 गोविन्दधर द्विवेदी जो प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा व चक्षुदर्शी साक्षी हैं तथा पी0डब्ल्यू0—03 मुकेश भटट व पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार प्रस्तुत मामले के चक्षुदर्शी साक्षी हैं।

18. पी0डब्ल्यू0—02 गोविंदधर द्विवेदी जो प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा हैं, उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि यह बात सही है कि मेरे द्वारा आज अपनी मुख्य परीक्षा में लिखा है कि वाहन संख्या यू0के 01 सी 4444 का चालक गाड़ी सामने से तेजी व लापरवाही से चलाते और फोन पर बात करते हुऐ हमारे गाड़ी को टकरा मार दी, यह बात मेरे द्वारा पुलिस को अपने 161 सी0आर0पी0सी बयानों में नहीं बतायी थी। मैं पुलिस के साथ घटनास्थल पर गया था, किस तिथि को गया था मुझे ध्यान नहीं है। नक्शा नजरी पर मेरे

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

हस्ताक्षर है, अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करता हूँ। सभी जगहों पर मैं इसी प्रकार हस्ताक्षर करता हूँ। यह कहना गलत है कि तहरीर मेरे द्वारा न लिखी गयी हो और न ही मेरे उस पर हस्ताक्षर हो। मेरे द्वारा खुद को बचाने हेतु किसी अन्य से तहरीर लिखवाकर थाने भिजवा हो। स्वयं कहा कि मैं हिन्दी में भी हस्ताक्षर करता हूँ। मेरे द्वारा नक्शा नजरी देख लिया गया था। मेरे द्वारा नक्शा नजरी देखकर ही उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि मेरा डाईविंग लाइसेंस घटना के तीन माह पूर्व बना था। यह कहना गलत है कि मैं गाड़ी चलाना नया नया सीखा हूँ तथा मुझे पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं हो। यह कहना सही है कि मेरी गाड़ी से टक्कर होने के बाद वाहन संख्या यू0के 01 सी 4444 अनियिन्त्रित होकर रोड किनारे कलमठ पर पलट गयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाता हू आ रहा था तथा मेरे द्वारा ही तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण अभियुक्त के वाहन का टक्कर मारकर कलमठ पर गिरा दिया हो।

19. पी0डब्ल्यू0–03 मुकेश भटट जो घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 04.05.2024 को प्रातः 07:30 बजे भवाली से कैंची धाम की ओर जा रहा था, भवाली से दो किलोमीटर नीचे की तरफ कैंची की ओर स्विप्ट गाड़ी यू0पी0 51बी0एल 9290 जा रही थी जो कि तेजी व लापरवाही से चल रही थी तभी कैंची धाम से भवाली की ओर ब्रिजा यू0के0 01 सी 4444 आ रही थी और स्विप्ट यू0पी0 51 बी0एल0 9290 ने तेजी व लापरवाही से आकर ब्रिजा यू0के0 01 सी 4444 गाड़ी को टक्कर मार दी जिसे ब्रिजा गाड़ी पहाड़ी के पास कलमठ खाई में गिर गयी तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि अपनी दुकान कैचीधाम में हर शनिवार व रविवार को जाता हूँ। दिनाक 04.05.2024 को जो कि शनिवार का दिन था उस दिन में भी प्रातः 07:00–07:30 आस पास भवाली से कैचीधाम की ओर जा रहा था। स्विप्ट गाड़ी यू0पी051 बी0एल0 9290 भवाली से ही मेरे आगे चल रही थी वह अपना वाहन तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा मेरे द्वारा पास माँगने पर भी पास नहीं दे रहा था। यह कहना सही है कि दुर्घटना स्विप्ट गाड़ी यू0पी0 51 बी0एल0 9290 तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण

हुई है। यह कहना भी सही है कि ब्रिजा गाड़ी यू0के0 01सी 4444 के चालक की कोई गलती नहीं है, वह अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाते हुऐ चढ़ाई के ओर आ रहा था।

20. पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनाँक 04.05.2024 को प्रातः लगभग 07:30 बजे हमलोग भवाली से कैंची की तरफ वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 से जा रहे थे तभी भवाली से लगभग दो किलोमीटर आगे कैंची की तरफ स्थान पर कैंची की तरफ से आने वाले वाहन संख्या यू0के0—01—सी0—4444 द्वारा तेजी व लापरवाही से हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर के वक्त वाहन संख्या यू0के0—01—सी0—4444 का चालक फोन पर बात कर रहा था। जिससे हमारी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। उनकी गाड़ी टक्कर लगने से अनियत्रित होकर पहाड़ की साईड में खड्डे में गिर गयी। मौके पर पुलिस आ गयी थी तथा दोनों वाहनों को भवॉली में ले गये थे। साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में जो कथन किया है कि अभियुक्त अपने फोन पर बात करते हुऐ वाहन चला रहा यह बात मेरे 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों में नहीं लिखी है. उक्त बातें आज मैं प्रथम बार बता रहा हूँ। यह बात सही है कि दुर्घटना होने के बाद हमारे द्वारा अभियुक्त को उसकी वाहन पर हुई क्षति के एवज में रूपये देने तथा समझौता करने को कहा था लेकिन वह नहीं माना।

21. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0—02 जो प्रस्तुत मामले में चक्षुदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा दिनांक 04.05.2024 को घटना होने का कथन किया गया है किन्तु घटना के 36 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई उचित कारण अपने बयानों में नहीं दर्शाया गया है। पी0डब्ल्यू0—02 द्वारा अपने बयानों में नक्शा नजरी कागज सं0—7क/01 में मेरे हस्ताक्षर हैं तथा इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि सभी जगहों पर मैं इसी प्रकार हस्ताक्षर करता हूं। इस सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी—03 पर नक्शा नजरी में किये गये हस्ताक्षर से भिन्न हस्ताक्षर हैं। तहरीर व नक्शा नजरी में भिन्न तरीके से हस्ताक्षर किये जाने का कोई उचित कारण वादी मुकदमा द्वारा नहीं दिया गया

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

है तथा तहरीर व नक्शा नजरी में हस्ताक्षर भिन्न हैं। वादी मुकदमा द्वारा उक्त तहरीर किसके द्वारा लिखी गयी है, इसका भी कोई उल्लेख न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में भिन्नता के तथ्य को तहरीर लेखक के द्वारा न्यायालय के समक्ष बताया जा सकता था किन्तु उसे विवेचक/अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही वादी मुकदमा द्वारा इस तथ्य को बताया गया कि उक्त तहरीर किसके हस्तलेख में है।

22. पी0डब्ल्यू0—03 मुकेश भटट जो प्रस्तुत मामले में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जिनके द्वारा कथन किया गया है कि स्विफ्ट वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 की तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण दुर्घटना कारित हुई। पी0डब्ल्यू0—03 मुकेश भटट वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 के पीछे भवाली से चलने का कथन किया गया है परन्तु यह स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है कि भवाली से कैंची धाम के मध्य वह अभियुक्त के वाहन के पीछे ही स्वयं का बाईक चला रहा हो, यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है तथा यह भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता हो कि दूसरी ओर से आ रहा वाहन संख्या यू0पी0—51—बी0एल0—9290 गलत तरीके से चलाया जा रहा था।

23. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार जो वादी मुकदमा के वाहन में सवार था, उसके द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त टक्कर के समय वाहन संख्या—यू0के0—01—सी0—4444 फोन पर बात कर रहा था। परन्तु पी0डब्ल्यू0—06 द्वारा उक्त कथन अपने धारा 161 द0प्र0सं0 के बयानों में नहीं किया गया है। जबकि पी0डब्ल्यू0—05 विवेचक द्वारा कथन किया गया है कि उसके द्वारा साक्षी के बताये अनुसार ही बयान दर्ज किये हैं। पी0डब्ल्यू0—02 गोविन्दधर द्विवेदी व पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार जो प्रस्तुत मामले में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा वाहन संख्या—यू0के0—01—सी0—4444 को कौन चला रहा था इसका कोई उल्लेख अपने बयानों में नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त पी0डब्ल्यू0—02 गोविन्दधर द्विवेदी व पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार से नहीं करायी गयी है, जिससे यह तथ्य दर्शित

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

होता कि घटना दिनांक को उक्त वाहन कौन चला रहा था।

24. ऐसी दशा में पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 04.05.2024 को किसी समय स्थान भवाली के आगे रास्ते पर थाना भवाली, जिला नैनीताल में अभियुक्त विजय सिंह द्वारा वाहन संख्या—यू0के0—01—सी0—4444 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा गोविन्दधर द्विवेदी के वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 में टक्कर मारकर उक्त वाहन क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित की गई क्योंकि वादी मुकदमा तथा चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट नहीं किया कि घटना दिनांक को उक्त वाहन कौन चला रहा था। न ही विवेचक द्वारा पी0डब्ल्यू0—02 गोविन्दधर द्विवेदी व पी0डब्ल्यू0—06 सुरसुर कुमार से अभियुक्त की शिनाख्त कराई गई। तथा चक्षुदर्शी साक्षी के मौके पर उपस्थित होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 36 घंटे की देरी से दर्ज कराये जाने का कोई उचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में भिन्नता के तथ्य को तहरीर लेखक के द्वारा न्यायालय के समक्ष बताया जा सकता था किन्तु उसे विवेचक/अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही वादी मुकदमा द्वारा इस तथ्य को बताया गया कि उक्त तहरीर किसके हस्तलेख में है।

25. प्रस्तुत मामले में, उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अपने कथनों के समर्थन में ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। चूँकि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 04.05.2024 को किसी समय स्थान भवाली के आगे रास्ते पर थाना भवाली, जिला नैनीताल में विजय सिंह द्वारा वाहन संख्या—यू0के0—01—सी0—4444 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा गोविन्दधर द्विवेदी के वाहन संख्या—यू0पी0—51—बी0एल0—9290 में टक्कर मारकर उक्त वाहन क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित की गई। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त विजय सिंह को संदेह का लाभ देकर उसको धारा 279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोपित

अपराध से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **विजय सिंह** को धारा 279, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा जमानतियों के जमानतनामे रद्द कर, उनको उनके दायित्वों से उनमोचित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतियों के जमानतनामें धारा 437 (क) दण्ड प्रकिया संहिता के अनुपालन में अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

माल मुकदमाती, यदि कोई हो, अपील अवधि के उपरान्त तथा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार व्ययनित किया जाये।

दिनांक : 16.02.2026

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर, खुले न्यायालय सदन में, सुनाया गया।

दिनांक : 16.02.2026

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

APPENDIX OF EVIDENCE

A. Prosecution.

निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी0डब्ल्यू0–01	कानि0 154 सी0पी0 शत्रुघन कुमार	चिक एफ0आई0आर0 लेखक
पी0डब्ल्यू0–02	गोविन्द द्विवेदी	वादी मुकदमा
पी0डब्ल्यू0–03	मुकेश भटट	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्ल्यू0–04	ए0एस0आई0एम0टी0 दलजीत सिंह मर्तोलिया	तकनीकी निरीक्षणकर्ता
पी0डब्ल्यू0–05	उपनिरीक्षक कृष्णा गिरी	विवेचक
पी0डब्ल्यू0–06	सुरसुर कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी

<u>दस्तावेजी साक्ष्य</u>

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी–1/पी0डब्ल्यू0–01	जी0डी0
2.	प्रदर्श पी–2/पी0डब्ल्यू0–01	चिक एफ0आई0आर0
3.	प्रदर्श पी–3/पी0डब्ल्यू0–02	तहरीर
4.	प्रदर्श पी–4/पी0डब्ल्यू0–04	तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी–5/पी0डब्ल्यू0–05	नक्शा नजरी
6.	प्रदर्श पी–6/पी0डब्ल्यू0–05	फर्द कब्जे लेने वाहन
7.	प्रदर्श पी–7/पी0डब्ल्यू0–05	आरोप पत्र

<u>वस्तु प्रदर्श (एम.ओ.)</u>

कम.सं.	**वस्तु प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
–	–	–

B. Defence evidence

<u>बचाव साक्षी</u>

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।

<u>दस्तावेजी साक्ष्य</u>

क्रम0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

<u>वस्तु प्रदर्श</u>

क्रम0सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

दिनांक : 16.02.2026

(रवि रंजन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नैनीताल।